न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2025/135 **दर्ज दिनांक– 07.03.2025**
मुकदमा नम्बर 33/2025

निहाल सिंह पुत्र विशालसिंह जाति राजपूत निवासी भोजनगर तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू
–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़
–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री नेमीचन्द डूडी, श्री सज्जन चाहर, मीनाक्षि सिंह
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 1[illegible].09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भोजनगर पटवार हल्का टौंकछिलरी तहसील नवलगढ की सरहद में **खाता सख्यां नया 16 पुराना 140 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 493 रकबा 1.1000 हैक्टेयर, खाता सख्यां नया 120 पुराना 69 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 366 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252/366 रकबा 0.31200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8620 हैक्टेयर व खाता सख्यां नया 121 पुराना 142 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 367 रकबा 0.1000 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम निहाल सिंह पुत्री विशालसिंह के स्थान पर निहाल सिंह पुत्र विशालसिंह** दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर एतराज व्यक्त नही किया गया।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम भोजनगर पटवार हल्का टौंकछिलरी तहसील नवलगढ की सरहद में **खाता सख्यां नया 16 पुराना 140 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 493 रकबा 1.1000 हैक्टेयर, खाता सख्यां नया 120 पुराना 69 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 366 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 252/366 रकबा 0.31200 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8620 हैक्टेयर व खाता सख्यां नया 121 पुराना 142 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 367 रकबा 0.1000 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम निहाल सिंह पुत्री विशालसिंह के स्थान पर निहाल सिंह पुत्र विशालसिंह** दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 1[illegible].09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुंझुनू